राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10702/2021

1. डॉ. रीना जैन पत्नी श्री पी.के. जैन, आयु लगभग 45 वर्ष, वरिष्ठ प्रदर्शक, बायो-केमिस्ट्री, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा।
2. डॉ. शेषा राम पटेल पुत्र टी.आर. पटेल, आयु लगभग 45 वर्ष, वरिष्ठ प्रदर्शक, बायो-केमिस्ट्री, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली।
3. डॉ. अभिनव पुरोहित पुत्र एम.एल. पुरोहित, आयु लगभग 42 वर्ष, वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलॉजी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली।
4. डॉ. गौतम चंद सिरवी पुत्र एम.आर. सिरवी, आयु लगभग 41 वर्ष, वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलॉजी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली।
5. डॉ. मनीषा मावई पुत्री एस.सी. सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलॉजी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविंद मार्ग, जनता कॉलोनी, जयपुर के माध्यम से।
3. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पाली, प्राचार्य एवं नियंत्रक, सुमेरपुर रोड, पाली के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

के साथ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10764/2021

1. गौरव कटारिया पुत्र आर.के. कटारिया, आयु लगभग 37 वर्ष, सहायक प्रोफेसर, ओटोरहिनोलैरिंजोलॉजी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पाली।
2. डॉ. विकास देवरा पुत्र राजेंद्र देवरा, आयु लगभग 36 वर्ष, सहायक प्रोफेसर, ओटोरहिनोलैरिंजोलॉजी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चूरू।
3. डॉ. प्रवीण कुमार गर्ग पुत्र जी.एल. गर्ग, आयु लगभग 46 वर्ष, सहायक प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन

4. डॉ. प्रभु दयाल पुत्र मनफूल बैरवा, आयु लगभग 42 वर्ष, सहायक प्रोफेसर, जनरल सर्जरी

5. डॉ. अंकित अवस्थी पुत्र सी.एस. अवस्थी, आयु लगभग 38 वर्ष, सहायक प्रोफेसर, मनोरोग।

6. डॉ. रेखा सिरवी पत्नी डॉ. एम.एल. चौधरी, आयु लगभग 35 वर्ष, सहायक प्रोफेसर, वेनेरोलॉजी और कुष्ठ रोग

7. डॉ. विपुल कुमार नागर पुत्र आर.सी. नागर, आयु लगभग 42 वर्ष, सहायक प्रोफेसर, नेत्र रोग याचिकाकर्ता संख्या 3 से 7 सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, पाली में कार्यरत हैं।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविंद मार्ग, जनता कॉलोनी, जयपुर के माध्यम से।

3. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पाली, प्राचार्य एवं नियंत्रक, सुमेरपुर रोड, पाली के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री अनिल भंडारी
श्री समीर श्रीमाली
श्री दिनेश चौधरी

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>20/04/2024</u>

1. उपरोक्त शीर्षक वाली दो याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की शिकायत, जो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पाली, राजस्थान में शिक्षण संकाय के सदस्य हैं, सहायक प्रोफेसर के पदोन्नति पद के लिए उनके नाम पर विचार न किए जाने से उत्पन्न हुई है। उनका दावा है कि उनके पूरी तरह से पात्र होने के बावजूद, उन पर विचार करने के बजाय, नई चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए लोगों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार, न केवल याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति कोटे के तहत विचार किए जाने के उनके अधिकार से वंचित किया गया है, बल्कि उन्हें सीधे भर्ती किए गए लोगों से जूनियर बनाकर अनावश्यक रूप से नाराज़गी भी पैदा की गई है।

2. मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं। किसी भी मामले में, इसका संक्षिप्त विवरण इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 07.09.2021 को पारित आदेश में निहित है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति दिनेश मेहता कर रहे थे, जिन्होंने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> "1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों के शासी निकाय की कार्रवाई को चुनौती दी है, जो 29.7.2021 और 5.8.2021 के विज्ञापनों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने जा रहे हैं।
>
> 2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री भंडारी ने अदालत का ध्यान प्रासंगिक प्रावधानों की ओर आकर्षित किया और बताया कि प्रतिवादियों को पदोन्नति के माध्यम से कम से कम 50% पदों को भरने की आवश्यकता है, जबकि वे सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरने जा रहे हैं और इस प्रकार, यदि संबन्धित भर्ती को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो उनके अधिकारों को गंभीर रूप से नुकसान होगा।
>
> 3. विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान भारतीय चिकित्सा परिषद (जिसे आगे एमसीआई कहा जाएगा) के मानदंडों द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता की ओर आकर्षित किया तथा कहा कि एमसीआई मानदंडों के

अनुसार केवल एक वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है, जो याचिकाकर्ताओं के पास है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पदोन्नति के लिए राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी, जयपुर (जिसे आगे नियम 2017 कहा जाएगा) के लिए रोजगार नियम (भर्ती एवं अन्य शर्तें) 2017 का नियम 24 लागू होता है, जिसके अनुसार चिकित्सा शिक्षक पदोन्नति नीति एमसीआई मानदंडों पर आधारित होना आवश्यक है। उनके अनुसार याचिकाकर्ताओं के पास अनुसूची-I में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता है।

5. प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश चौधरी ने न्यायालय का ध्यान वर्ष 2017 के नियम 25 के उपनियम (7) की ओर आकृष्ट किया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

> "(7). वरिष्ठ प्रदर्शक - वरिष्ठ प्रदर्शक को 4 वर्ष की सेवा पूरी करने तथा एमसीआई मानदंडों के अनुसार सहायक प्राध्यापक के लिए योग्यता पूरी करने के पश्चात सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी, बशर्ते सहायक प्राध्यापक का पद रिक्त हो।"

6. 2017 के नियम 25 के उप-नियम (7) की सहायता से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक वरिष्ठ प्रदर्शक के पद से सहायक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का संबंध है, वरिष्ठ प्रदर्शक के लिए सेवा में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है और किसी भी याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर 4 वर्ष का अनुभव प्राप्त नहीं किया है और इस प्रकार वे पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।

7. राज्य द्वारा एक विशिष्ट रुख अपनाया गया है कि राज्य भर्ती एजेंसी ने 2017 के नियम 25 के उप-नियम (7) के प्रति अपना दिमाग लगाया है और पाया है कि कोई भी सेवारत वरिष्ठ प्रदर्शक पदोन्नति

के लिए पात्र नहीं है, पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियों को भरने के बजाय, उन्होंने सीधी भर्ती के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया और सीधी भर्ती के माध्यम से पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किए।

8. याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2017 के नियम 24 के आधार पर दिए गए तर्क के संबंध में, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या आवश्यकता है, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा वर्ष 2017 के नियम 25(7) के रूप में निर्धारित की गई आवश्यकता के मद्देनजर एमसीआई मानदंडों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता, याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत कम उपयोगी है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में पदोन्नति के लिए भी पात्र नहीं हैं। वरिष्ठ प्रदर्शक के पद से सहायक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति नियम 2017 के नियम 25 के उपनियम (7) के अनुसार की जानी आवश्यक है। हो सकता है कि याचिकाकर्ता अपेक्षित योग्यता रखते हुए सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने के पात्र हों, लेकिन यह योग्यता उन्हें भर्ती प्रक्रिया को रोकने का अधिकार नहीं देती है, जब वे नियम 2017 के तहत पदोन्नति के लिए पात्र/हकदार नहीं हैं।

10. नियोक्ता को प्रतीक्षा नहीं करवाई जा सकती। रिक्त पदों को भरना समय की मांग है। नियम 2017 के नियम 6 के उपनियम (2) का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों को ऐसा करने की अनुमति देता है।

11. सुनवाई हुई।

12. स्वीकृत। नोटिस जारी करें। श्री कैलाश चौधरी, विद्वान वकील प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

13. इस मामले को जनवरी, 2022 के महीने में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

14. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, स्थगन याचिका का इस स्पष्टीकरण के साथ निपटारा किया जाता है कि फिजियोलॉजी और बायो केमिस्ट्री विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर दिनांक 29.7.2021 और 5.8.2021 की भर्ती अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई भी नियुक्ति वर्तमान रिट याचिका के परिणाम के अधीन रहेगी।"

3. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से उत्पन्न एक अंतर-न्यायालय अपील का निपटारा करते समय इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 18.02.2022 के आदेश का संदर्भ देना भी उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

"सुनवाई हुई।

यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 07.09.2021 के अंतरिम आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए आवेदन का इस प्रकार निपटारा किया गया है कि चयन रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दलील दी कि हालांकि याचिकाकर्ताओं ने सहायक प्रोफेसर के पद पर उपलब्ध रिक्तियों में से 50% को सीधी भर्ती से भरने की अनुमति नहीं देने का निर्देश मांगा था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने रोजगार (भर्ती और अन्य शर्तें) नियम, 2017 (संक्षेप में, '2017 के नियम') के नियम 25 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधान से प्रभावित होकर यह माना कि याचिकाकर्ता चार साल का कार्य अनुभव पूरा किए बिना पात्र नहीं हैं, उन्होंने आवेदन में मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया। नियम 2017 के नियम 24 में निहित प्रावधानों और नियमों से जुड़ी अनुसूची और साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता और अनुभव

के न्यूनतम मानकों का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता वरिष्ठ प्रदर्शक के रूप में चार साल की सेवा पूरी करने की किसी भी आवश्यकता के बिना पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद पात्रता पहलू के संबंध में मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया है और चयन की प्रक्रिया को रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया है।

प्रथम दृष्टया विचार करने पर हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित मुद्दा भर्ती नियमों में निहित विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में है, जिसमें नियम 24 और 25 में निहित प्रावधान और अनुसूची में निहित प्रावधान शामिल हैं। मुद्दा यह है कि क्या चार साल का अनुभव प्राप्त किए बिना याचिकाकर्ता नियम 24 के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे या नहीं और क्या उन्हें केवल इस कारण से उक्त नियमों के तहत इस तरह के विचार से वंचित किया जा सकता है कि आने वाले समय में वे नियम 25 के तहत प्रदान की गई एसीपी योजना के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

हम पाते हैं कि एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है जिस पर विचार किया जा रहा है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को विस्तार से सुनने और उनके संबंधित तर्कों को दर्ज करने के बाद अपना विचार व्यक्त किया है, जो कि आक्षेपित आदेश से परिलक्षित होता है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तृत सुनवाई करने और अंतरिम चरण में पहलुओं पर विचार करने के बाद जो विवेक का प्रयोग किया है, वह हमें रिट

अपील में आदेश में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

इसलिए, अपील खारिज की जाती है।

4. याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने से पहले, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि पदोन्नति सेवा का एक आवश्यक हिस्सा है जो किसी अधिकारी को अपना काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह समकक्षों के बीच एक स्वस्थ माहौल भी बनाता है ताकि वे एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पदोन्नति से पुरस्कृत हो सकें, जो उनके द्वारा अर्जित की गई है।

5. इस संदर्भ में, डॉ. सुश्री ओ.जेड. हुसैन बनाम भारत संघ एवं अन्य: एआईआर 1990 एससी 311 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह माना गया है कि राज्य अपने अधिकारियों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित नहीं करने के लिए बाध्य है और यदि सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति कोटे के अनुसार फीडर पद से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो राज्य की ओर से उचित कदम उठाना अनिवार्य है। उक्त निर्णय की प्रासंगिकता इस प्रकार है:-

"इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर यह इंगित किया है कि पदोन्नति के प्रावधान से सार्वजनिक सेवा की पर्याप्तता बढ़ती है जबकि ठहराव से दक्षता कम होती है और सेवा अप्रभावी हो जाती है। इस प्रकार पदोन्नति सेवा की एक सामान्य घटना है। इस बात का भी कोई औचित्य नहीं है कि जब अन्य मंत्रालयों में समान पद पर नियुक्त अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की स्थापना में गैर-चिकित्सा 'ए' समूह के वैज्ञानिकों को इस तरह के लाभ से वंचित क्यों रखा जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य में, यह आवश्यक है कि एक कुशल सार्वजनिक सेवा हो और इसलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दायित्व होना चाहिए कि वह परिषद और उसके सदस्यों के अभ्यावेदन पर ध्यान दे और अधिकारियों की उक्त श्रेणी के लिए पदोन्नति के

अवसर प्रदान करे। इसलिए यह आवश्यक है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप, आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते हुए, निदेशालय के गैर-चिकित्सा विंग में 'ए' श्रेणी के वैज्ञानिकों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु उचित नियम बनाए जाएं।

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, आइए अब हम इस मामले की बारीकियों पर ध्यान दें।

7. इस पर विचार करने से पहले, प्रासंगिक सेवा नियमों पर गौर किया जाना चाहिए। तत्काल संदर्भ के लिए, उन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

<u>रोजगार नियम (भर्ती एवं अन्य शर्तें), 2017:</u>

"24. *पदोन्नति हेतु मानदंड, पात्रता एवं प्रक्रिया-*

I. चिकित्सा शिक्षकों के लिए पदोन्नति नीति एमसीआई के मानदंडों पर आधारित होगी। पदोन्नति पर एक वार्षिक वृद्धि के बराबर निर्धारण लाभ दिया जाएगा।

II. ग्रेड-II के गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें उसी पद पर ग्रेड-I के रूप में नामित किया जाएगा और पदोन्नति पर एक वार्षिक वृद्धि के बराबर निर्धारण लाभ दिया जाएगा। यह पदोन्नति एसीपी-I के बदले में होगी।

III. शासी निकाय उन व्यक्तियों की पदोन्नति, नियुक्ति या अन्य सहायक मामलों को न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जो निलंबित हो सकते हैं या जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है, उस समय जब पदोन्नति पर विचार किया जाता है जिस पद के लिए वे पात्र हैं या पात्र होते यदि निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही लंबित न होती।

25. सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) योजना के तहत पदोन्नति-

(1) नियम 24 में निहित किसी भी बात के बावजूद, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के

पदों के धारकों को सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और वरिष्ठ प्रोफेसर के पदों पर निम्नानुसार पदोन्नति दी जाएगी:-

क्रमांक	एसीपी योजना के तहत पदोन्नति		पदोन्नति के लिए आवश्यक नियमित सेवा के वर्षों की संख्या
	से	तक	
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर	एसोशिएट प्रोफेसर	संबंधित विशेषज्ञता के मौलिक रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसरों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उक्त पद पर पदोन्नति के लिए एमसीआई द्वारा निर्धारित अनुभव प्राप्त किया हो।
2	एसोशिएट प्रोफेसर	प्रोफेसर	संबंधित विशेषज्ञता के एसोसिएट प्रोफेसरों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उक्त पद पर पदोन्नति के लिए एमसीआई द्वारा निर्धारित अनुभव प्राप्त किया है।
3	प्रोफेसर	सीनियर प्रोफेसर	संबंधित विशेषज्ञता के प्रोफेसरों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उक्त पद पर पदोन्नति के लिए एमसीआई द्वारा निर्धारित अनुभव प्राप्त किया हो।

(2) ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत पदोन्नति रिक्ति पर ध्यान दिए बिना दी जाएगी। सामान्य विंग के कर्मचारियों को क्रमशः 20 और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद द्वितीय और तृतीय ए.सी.पी. दी जाएगी। द्वितीय और तृतीय ए.सी.पी. दिए जाने पर प्रत्येक ए.सी.पी. के लिए एक वार्षिक वृद्धि के बराबर की अनुमति दी जाएगी।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियमित सेवा का अर्थ है और इसमें किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमित चयन के बाद नियुक्ति पर की गई सेवा शामिल है। तदर्थ/अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर की गई सेवा की अवधि को नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। दूसरे शब्दों में, सेवा की वह अवधि जो वरिष्ठता के लिए गणना योग्य है, उसे ही नियमित सेवा के रूप में गिना जाएगा। सोसायटी का एक नियमित कर्मचारी, यदि वह सोसायटी के बाहर अन्य संस्थानों में छह महीने से अधिक समय तक

प्रतिनियुक्ति पर काम करता है, तो ऐसी अवधि को पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।

(4) सेवा के वे सदस्य जो ए.सी.पी. योजना के लाभ के हकदार हैं (अनुसूची-I के प्रशासनिक विंग, क्लीनिकल विंग और गैर क्लीनिकल विंग) इन नियमों के नियम 24 के प्रावधानों के तहत पदोन्नति पाने के पात्र नहीं होंगे। ए.सी.पी. निर्धारण लाभ दिए जाने पर एक वार्षिक वृद्धि के बराबर लाभ दिया जाएगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को वर्ष के दौरान ए.सी.पी. के लिए सेवा के पात्र सदस्यों की सूची तैयार करेगा, जिनके पास अनुसूची-I के कॉलम संख्या 5 और 7 में संबंधित पद के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव हैं। ए.सी.पी. देने के लिए पिछले 5 वर्षों का सेवा रिकॉर्ड ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि यह पदोन्नति का मामला हो।

(6) नियम 23 के तहत गठित समिति ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ देने के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए उनकी स्क्रीनिंग करेगी।

(7) वरिष्ठ प्रदर्शक- वरिष्ठ प्रदर्शक को 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सहायक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी जाएगी और एमसीआई मानदंडों के अनुसार सहायक प्रोफेसर के लिए योग्यता पूरी करनी होगी, बशर्ते कि सहायक प्रोफेसर का पद रिक्त हो।

चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998 :

"3. अनुसूची I में, खंड 6 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में कुल 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षक, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का सहायक प्रोफेसर के रूप में शिक्षण अनुभव और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद अनुक्रमित पत्रिकाओं में दो शोध प्रकाशन, व्यापक विशेषज्ञता में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक होंगे।

सुपर स्पेशियलिटी के मामले में केवल उन शिक्षकों को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी जिनके पास 6 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव उच्च स्पेशियलिटी डिग्री प्राप्त करने के बाद सहायक प्रोफेसर के रूप में प्राप्त किया गया हो।

/. बोर्ड विशेषताएँ

पद	शैक्षणिक योग्यताएँ	शिक्षण एवं अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर / एडिशनल प्रोफेसर (8 वर्ष का पोस्ट पीजी अनुभव)	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता एमडी/एमएस और टीईक्यू विनियमन के अनुसार	किसी अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 3 वर्ष तक विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करना होगा, साथ ही संचयी आधार पर अनुक्रमित जर्नल में 4 शोध प्रकाशन होने चाहिए, साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान प्रथम लेखक या संबंधित लेखक के रूप में कम से कम 2 शोध प्रकाशन होने चाहिए।
एसोसिएट प्रोफेसर (5 वर्ष पोस्ट पीजी अनुभव)	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता एमडी/एमएस और टीईक्यू विनियमन के अनुसार	विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में 4 साल के लिए एक अनुमत / अनुमोदित / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / संस्थान में 2 शोध प्रकाशन के साथ अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रथम लेखक या संवाददाता लेखक के रूप में।
असिस्टेंट प्रोफेसर	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता एमडी/एमएस और टीईक्यू विनियमों के अनुसार।	संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 3 वर्ष जूनियर रेजिडेंट और मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में एक वर्ष सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्य करना होगा।

8. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि सहायक प्रोफेसर के पदोन्नति पद पर विचार किए जाने की पात्रता, वरिष्ठ डेमोस्ट्रेटर के पास एक वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। विभाग की स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 31.05.2017 और 20.08.2018 को सेवा में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, उन्होंने प्रत्यक्ष भर्ती की नियुक्ति की प्रासंगिक तिथि तक तीन वर्ष से अधिक की सेवा की थी। याचिकाकर्ता कट-ऑफ तिथि पर एक वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान करने के कारण विचार किए जाने के लिए पूरी तरह से पात्र थे।

9. फिर भी, कुछ गलत धारणा के तहत कि चूंकि नियम 25, जो एसीपी का लाभ देने के लिए लागू है, में यह परिकल्पना की गई है कि उक्त लाभ दिए जाने के लिए न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा की जानी चाहिए, याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति पद पर विचार किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया।

10. मैं विभाग द्वारा अपनाए गए रुख से सहमत होने में असमर्थ हूं। जो देखा जाना था वह नियम 24 की प्रयोज्यता थी, जो विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं पर लागू होती है, न कि नियम 25 पर। प्रासंगिक रूप से, नियम 25 किसी सेवारत अधिकारी की गलती के बिना पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एक उपशामक उपाय है।

11. विभाग ने याचिकाकर्ताओं को उनकी पात्रता के लाभ से वंचित करने के लिए पूरी तरह से एकतरफा दृष्टिकोण अपनाया है।

12. इस आधार पर और मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे पदोन्नति कोटे के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या निर्धारित किए बिना, वर्ष 2021 से पदोन्नति कोटे पर रिक्तियों की घोषणा करें, जब सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

13. अंत में, मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगा कि यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादियों द्वारा पूर्व में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए आठ अवसरों पर विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें निर्धारित नियमों के अनुसार पदोन्नति कोटे के तहत रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया था।

14. जैसा भी हो, चूंकि याचिकाकर्ताओं की शिकायत वर्ष 2021 में की गई भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुई है, इसलिए तत्काल रिट याचिका में आदेश केवल उसी वर्ष तक सीमित किया जा रहा है।

15. अंतरिम आदेश के तहत यह भी निर्देश दिया गया कि सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों का चयन रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन है। तदनुसार यह आदेश दिया जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अभ्यास के परिणाम के अधीन, और याचिकाकर्ताओं को सीधे भर्ती किए गए लोगों की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी रूप से योग्य पाए जाने पर, उन्हें सीधे भर्ती किए गए लोगों की तुलना में उनकी नियुक्ति की तारीख से अंतर-वरिष्ठता प्रदान करके पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता ऐसी पदोन्नति के पूर्वव्यापी वित्तीय लाभों के हकदार नहीं होंगे, लेकिन वे पदोन्नति पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख के पुनर्निर्धारण से उत्पन्न होने वाले आभासी लाभों के साथ-साथ वरिष्ठता के भी हकदार होंगे।

16. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।